



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 आश्विन 1946 (श10)

(सं० पटना 989) पटना, बुधवार, 9 अक्टूबर 2024

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर 2024

अधिसूचना संख्या 07/2024-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 457 दिनांक 9 अक्टूबर 2024— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम- 12, 2017) की धारा 9 की उप- धारा (1), उप- धारा (3) और (4), धारा 11 की उप- धारा (1), धारा 15 की उप- धारा (5), धारा 16 की उप- धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017-राज्य कर (दर) दिनांक 29 जून, 2017 जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 554, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 8 के समक्ष,-

- (i) मद (ivक) और कॉलम (3), (4) तथा (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और कॉलम (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियां को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(ivख) हेलीकाप्टर द्वारा सीट शेयरिंग के आधार पर सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों का परिवहन ।	2.5	बशर्ते सेवा की पूर्ति करने में प्रयुक्त माल पर प्रभारित इनपुट कर का प्रत्यय नहीं लिया गया है ।

		[कृपया स्पष्टीकरणपैरा 4 की संख्या (iv) का संदर्भ लें/देखें।]
--	--	--

कॉलम (3) में, मद (vii) में, कोष्ठक और अंक “(ivक),” के पश्चात कोष्ठक और अंक “(ivख),” अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी ।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 21/2017-(खंड--20) 07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

9 अक्टूबर 2024

एस० ओ० 457, दिनांक 9 अक्टूबर 2024 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय ।

[(सं०सं०बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21 / 2017(खंड-20) 07)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार सिंह,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

The 9th October 2024

Notification No. 07/2024–State Tax (Rate)

S.O. 457, Dated the 9th October 2024—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 554, dated the 29th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, in the Table, against serial number 8,
 - (i) after item (iva) and the entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following item and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5) shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(ivb) Transportation of passengers, with or without accompanied baggage, by air, in a helicopter on seat share basis.	2.5	Provided that credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to clause (iv) of paragraph 4 relating to Explanation].”

- (ii) in column (3), in item (vii), after the brackets and figures “(iva),”, the brackets and figures “(ivb),” shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-20) 07)]

By the order of Governor of Bihar,
Sanjay Kumar Singh,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 989+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

IndiaCode